

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(PHED)2014 / एफसीए / प्रमुखसं / 423

दिनांक: 18.2.2019

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0225 Ha. of Forest Land in Favour of Public Health Engineering department, Ajmer for construction of Trambay Station Harizan Basti OHSR, Ajmer District. (प्रस्ताव सं.-FP/RJ/WATER/26264/2017)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 8 बी/राज/08/26/2017 / एफसी / 872 दिनांक 09.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 287 दि. 10.01.2019 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है:-

शर्त सं.	अधिरूपित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 2,74,764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दिनांक 14.09.2018 को ऑनलाईन जमा करा दी गई है जिसमें 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की राशि 2,30,000/- सम्मिलित है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि 0.0225 है० के दस गुने अवनत वनभूमि पर (0.0225X10=0.225 Ha.) अर्थात् 0.225 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 2,74,764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दिनांक 14.09.2018 को ऑनलाईन जमा करा दी गई है जिसमें एनपीवी की राशि 30,679/- सम्मिलित है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफसी दि. 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी। इसके उपरांत जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पारिक्षण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि रु. 2,74,764/- चालान नं. 055920180913291094 द्वारा दिनांक 14.09.2018 को ऑनलाईन जमा करा दी गई है जिसमें एनपीवी की राशि 14,085/- सम्मिलित है।

5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी. सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, बैकवर्ड एण्ड फोरवर्ड बेरिंग एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	अण्डरटेकिंग संलग्न है।
9.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	संबंधित वनाधिकारी से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जो संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट के दो सैट संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ को मूल पालना रिपोर्ट का सैट भिजवावें।

संलग्न:-पालना रिपोर्ट दो सैट।

भवदीय,
 (योगेन्द्र कुमार दक)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(PHED)2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 424-28
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 18.2.2019

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ.प्र.)
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) कार्यालय हाजा।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
4. उप वन संरक्षक, अजमेर।
5. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-प्रथम, नीयर महावीर सर्किल, नल गोदाम, अजमेर-305001

(देवेन्द्र कुमार जोशी)
 उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 अरण्य भवन, जयपुर
 ACF (FCA)
 JAIPUR

111

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;



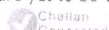
: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the payment yet to be made.



: This icon shows that the challan has been generated.



: This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Lucknow

Select State : Rajasthan

Select User Agency : Select

Payment Status : Online Help/Query

Paid Unpaid All

Bank Name : --Select All--

Mode of Payment : --Select All--

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search : 26264

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/WATER/26264/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/WATER/26264/2017) Trambay station Harizan Basti OHSR	WATER262642017954	09 Mar 2018	CA: 230000/- PCA: 30679/- Safety Zone: 0/- NPV: 14085/- Total :274764/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/-		Fund Demand Verified by 11 Sep 2018 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On 12 Sep 2018 Transaction Date 17 Sep 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911712291210PQSOtrambaydemand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=WATER262642017954)

21/12/2019
(D.K. GUPTA)
ACF (PCA)
JAIPUR

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

The national portal of India
data.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Meity (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)